न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर खण्डपीठ रीवा म0प्र0

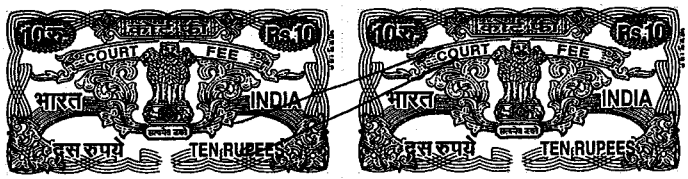

पारसनाथ केवट तनय स्व0 लालमन केवट उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम त्योंधरा नं0–01, तहसील अमरपाटन, जिला सतना म0प्र0

—————पुनरीक्षणकर्ता / निगरानीकर्ता

बनाम

1– मु0 मानवती बेवा लालमन केवट उम्र 60 वर्ष,
2– श्रीमती गुड़िया केवट पत्नी राजेन्द्र केवट उम्र 36 वर्ष,
3– श्रीमती कल्याणी केवट पत्नी मकसूदन केवट उम्र 27 वर्ष,
4– संध्या केवट पत्नी बृजेश केवट उम्र 25 वर्ष,
5– श्रीमती पूजा केवट पत्नी अशोक केवट उम्र 20 वर्ष, सभी निवासीगण ग्राम त्योंधरा नं0–01, तहसील अमरपाटन, जिला सतना म0प्र0

—————अनावेदकगण / गैरनिगराकारगण

श्री हरिकृष्ण मिश्रा एड के द्वारा आज दिनांक 22.8.15 प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

पुनरीक्षण विरुद्ध आदेश तहसीलदार अमरपाटन जो दिनांक 10.07.2015 को तहसीलदार अमरपाटन जिला सतना म0प्र0 द्वारा प्रकरण क्र0–116 / अ–27 / 14–15 में पारित किया गया।

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0 राजस्व संहिता।

मान्यवर,

पुनरीक्षण आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित है :–

1– यह कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, तहसील अमरपाटन, द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.07.2015 विधि एवं कानून प्रकिया के विपरीत होने से रद्द किये जाने योग्य है।

2– यह कि उक्त आदेश पारित करने के पूर्व तहसीलदार साहब ने न तो धारा 178 म0प्र0भू0राजस्व संहिता के प्रावधानों को देखा और न ही निगरानीकर्ता की आपत्ति को देखा न उसे पढ़ा और न ही गैरनिगरानीकर्ता के जवाब को पढ़ा और न ही निगरानीकर्ता को गैरनिराकारगण द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेज दिलाये और न ही निगरानीकर्ता के तर्क सुने और बिना ऐसा किये ही दिनांक 06.07.2015 की आदेश पत्रिका में तर्क सुने जाने का हवाला देकर प्रकरण को आपत्ति पर विचार हेतु दिनांक 10.07.2015 को नियत किया, तथा जब

R.5000/11/15 रीवा

स्थान तथा दिनांक	पारसनाथ कार्यवाही तथा आदेश मु० मानवती	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	आवेदकगण एवं अनावेदकगण के सहखाते की है जिनके विभाजन की कार्यवाही कोई भी सहखातेदार कर सकता है और इस प्रकार की कार्यवाही तब तक नहीं रोकी जा सकती जब तक कि किसी वरिष्ठ न्यायालय से स्थगन आदेश न हो। उपरोक्त अंकित आधारों पर तहसीलदार द्वारा आवेदक का आपत्ति आवेदन निरस्त किया जाकर प्रकरण बटवारा आवेदन दावे के जवाब हेतु नियत किया गया। प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचना से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में तहसीलदार द्वारा अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है ऐसी स्थिति में आवेदक को अपना पक्ष समर्थन करने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है तथा प्रकरण में तह० द्वारा आवेदक को बटवारा दावे का जवाब प्रस्तुत करने हेतु प्रकरण नियत किया गया है तथा साक्ष्य प्रस्तुत करने का भी अवसर प्रदान किया गया है। प्रकरण में वर्तमान में तहसीलदार के आदेश दिनांक 10-7-15 से किसी भी पक्ष के हित वर्तमान में अनुचित रूप से प्रभावित होने की कोई सम्भावना परिलक्षित नहीं हो रही है। उभयपक्ष अपना-2 पक्ष तह० के समक्ष उप० होकर रखें। अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में प्रकरण में ग्राह्यता का पर्याप्त एवं विहित आधार न होने से यह निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों। प्र०दा०रि० हो। सदस्य	

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R.5000/II/15 जिला सतना

स्थान तथा दिनांक	पारसनाथ कार्यवाही तथा आदेश मु० मानवती	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-11-15	प्रकरण में आवेदक अधिवक्ता श्री हरिकृष्ण मिश्रा उप० उन्हें प्रकरण में ग्राह्यता पर सुना गया। आवेदक अभि० द्वारा प्रकरण में वही तर्क प्रस्तुत किये, जो निगरानी मेमो में उल्लेखित किये गये हैं जिन्हें यहां दुहराने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु उन पर विचार किया जा रहा है। निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं के आधार पर निगरानी ग्राह्य करने का निवेदन किया गया। आवेदक अधिवक्ता के निवेदन पर निग० मेमो में अंकित तथ्यों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के चुनौतीयुक्त आदेश दिनांक-10-7-15 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि आवेदक पारसनाथ द्वारा अनावेदक मु० मानवती द्वारा संहिता की धारा 178 के तहत प्रस्तुत बटवारा आवेदन कार्यवाही के संबंध में आपत्ति आवेदन प्रस्तुत कर बटवारा कार्यवाही को रोकने का निवेदन किया गया। प्रकरण में संलग्न अभि० अवलोकन से यह तथ्य प्रकट हो रहा है कि आवेदित आ०नं० 50, 217/1, 217/2, 218/1, 218/7, 237/2 ख, 237/3, 406, 407 कुल किता 9 कुल रकबा 2.062 हे०	

[कृ. प. उ.